(12)

सं० सं०–16 / ए.3–27 / 2013

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक–

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2012 के तहत निर्गत अधिसूचना दिनांक– 25.04.2012 द्वारा आयुर्वेद के स्नातक डिग्री धारको के लिए एक वर्षीय अनिवार्य विशिखानुप्रवेश (Internship) के प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूप रेखा एवं शर्ते निर्धारित की गई है। उक्त अधिसूचना में विर्निदिष्ट प्रावधानों के तहत राज्य सरकार द्वारा आयुर्वेद के स्नातक डिग्री धारियों हेतु विशिखानुप्रवेश के लिए निम्नांकित प्रावधान किये जाते है :–

1. स्नातक कोर्स (बी० ए० एम० एस०) का अध्ययन कार्यकाल पूर्ण होने पर सभी आयुर्वेद स्नातक धारियों के लिए एक वर्षीय विशिखानुप्रवेश (Internship) का प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।

2. प्रत्येक प्रशिक्षु विशिखानुप्रवेश (Internship) कार्यक्रम में सम्मिलित होने से पूर्व राज्य बोर्ड / परिषद में अपना नाम अस्थाई रूप से पंजीकृत कराएगा एवं इस संबंध में प्रमाण–पत्र प्राप्त करेगा।

3. एक वर्ष के विशिखानुप्रवेश (Internship) कार्यक्रम में से छः माह का नैदानिक (क्लीनिकल) प्रशिक्षण उसी महाविद्यालय द्वारा दिया जायेगा जिसमें आयुर्वेदिक स्नातकधारी प्रशिक्षु अध्ययन किये है। संबंधित महाविद्यालय द्वारा उनके साथ संलग्न अस्पताल में छः माह का नैदानिक (क्लीनिकल) प्रशिक्षण निम्नवत संचालित किया जाएगा–

A.

विभाग	छः माह का विभाजन
1. कायचिकित्सा	2 माह
2. शल्य	1 माह
3. शालाक्य	1 माह
4. प्रसूति एवं स्त्रीरोग	1 माह
5. कौमार भृत्य	15 दिन
6. पंचकर्म	15 दिन

B. शेष छः माह का प्रशिक्षण प्रशिक्षुओं द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थय कार्यक्रम से प्रशिक्षुओं से अवगत एवं परिचित होने के उद्देश्य से, निम्नलिखित में से किसी एक संस्थान द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

(क) राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(ख) राज्य के सभी सदर अस्पताल / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

(ग) पी.एम.सी.एच., पटना / इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना / अनुग्रह नारायणमगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल / नालन्दा मेडिकल कॉलेज, पटना / इन्दिरा गॉधी हृदय रोग संस्थान पटना / एस.के.एम.सी कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर।

(घ) राज्य के सभी जिला संयुक्त औषधालय / राज्य के सभी राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल।

उपर्युक्त सभी केन्द्रो (क,ख,ग एवं घ) को ऐसे प्रशिक्षण देने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय तथा संबंधित सरकारी अभिहित प्राधिकरण द्वारा अनुमति प्राप्त करना होगा। इन सभी केन्द्रो में प्रशिक्षु निम्नाकिंत मामलों से परिचित होगें।

1. अस्पताल के दैनिक कार्यो एवं अभिलेखों के संधारण से अवगत एवं परिचित होना

2. अस्पताल के चिकित्सीय/गैरचिकित्सीय स्टाफ के दैनिक कार्यकलापों से अवगत होना उनसे प्रशिक्षण अवधि के दौरान हमेशा संपर्क में रहना

3 अस्पताल के पंजी यथा दैनिक रोगी पंजी, पारिवार नियोजन पंजी, शल्यतंत्र पंजी इत्यादि के संधारण कार्य से परिचित एवं अवगत होना तथा सरकार के विभिन्न स्वास्थ्य स्कीम/कार्यक्रम में क्रियाशील होकर भाग लेना।

4.. भारत सरकार द्वारा राज्य/जिलों में चलाये जा रहे विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में क्रियाशील होकर भाग लेना।

5. विशाखानुप्रवेश (Internship) की अवधि एक वर्ष की होगी।

6. प्रशिक्षु का दैनिक कार्य समय 8 घंटे से कम का नही होगा।

7. विशाखानुप्रवेश (Internship) के संबंध में भारतीय चिकित्सा परिषद (भारतीय चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानक (संशोधन) विनियमन–2012) के संदर्भ में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद का अधिसूचना दिनांक– 25.04.2012 के शेष प्रावधान लागू माने जाएगे।

8. विशाखानुप्रवेश (Internship) में जो प्रशिक्षु निजी आयुर्वेदिक कॉलेजों में अध्ययनरत है, उन्हें Stipend देय नहीं होगा।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक– 139 (दे०चि०) पटना, दिनांक– 17/2/2014

प्रतिलिपिः– प्राचार्य (राज्य के सभी राजकीय एवं गैरसरकारी आयुर्वेदिक महाविद्यालय)/सभी सिविल सर्जन/निदेशक इंदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना/इंदिरा गॉधी ह्रदय रोग संस्थान, पटना/अधीक्षक पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पटना/अधीक्षक नालन्दा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पटना/अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, गया/दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल,दरभंगा/श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर/सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो के प्रभारी पदाधिकारी/सभी आयुर्वेदिक अस्पताल एवं औषधालयों के जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/2/14

सरकार के अवर सचिव

17.02.2014

ज्ञापांक :– सं0सं0–16/ए3–27/2013–146 (दे०चि०) /पटना, दिनांक – 18/2/2014
प्रतिलिपि – आई0टी0 मैनजर को वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

18/2/14

निदेशक, देशी चिकित्सा

18/2/14

D:Dec13